

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती मुनेश कँवर, व्याख्याता-वाणिज्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिलिया-कुचामन सिटी- नागौर ॥ के स्वयं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (पुत्र की मानसिक रोग के निदान की चिकित्सा परामर्श एवं देखभाल हेतु) के आधार पर वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)FD/Rules/2011 दिनांक 22.05.2018 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 103(C) के अन्तर्गत स्वयं के पुत्र की मानसिक रोग के निदान की चिकित्सा के लिए देखभाल हेतु दिनांक 16.07.2018 से दिनांक 26.04.2019 कुल दिवस 285 का चाईल्ड केयर लीव(CCL) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 12/11/18

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वाणि-इति/अवकाश/CCL/2018-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, नागौर को निर्देशित किया जाता है कार्मिक की सेवा पुस्तिका में निर्धारित प्रपत्र चस्पा कर चाईल्ड केयर लीव(CCL) इन्द्राज तथा सेवा पुस्तिका में चाईल्ड केयर लीव(CCL) की अवधि का अंकन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
(रजिस्टर्ड)
- 2 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिलिया-कुचामन सिटी-नागौर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु। (रजिस्टर्ड)
- 3 श्रीमती मुनेश कँवर, व्याख्याता-वाणिज्य, राज.उच्च.माध्य विद्यालय, जिलिया-कुचामनसिटी- नागौर ॥
- 4 निजी/रक्षित पत्रावली



सयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती मुनेश कँवर, व्याख्याता-वाणिज्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिलिया-कुचामन सिटी- नागौर II के स्वयं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (पुत्र की मानसिक रोग के निदान की चिकित्सा परामर्श एवं देखभाल हेतु) के आधार पर वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)FD/Rules/2011 दिनांक 22.05.2018 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 103(C) के अन्तर्गत स्वयं के पुत्र की मानसिक रोग के निदान की चिकित्सा के लिए देखभाल हेतु दिनांक 16.07.2018 से दिनांक 26.04.2019 कुल दिवस 285 का चाईल्ड केयर लीव(CCL) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 12/11/18

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वाणि-इति/अवकाश/CCL/2018-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, नागौर को निर्देशित किया जाता है कार्मिक की सेवा पुस्तिका में निर्धारित प्रपत्र चस्पा कर चाईल्ड केयर लीव(CCL) इन्द्राज तथा सेवा पुस्तिका में चाईल्ड केयर लीव(CCL) की अवधि का अंकन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
(रजिस्टर्ड)
- 2 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिलिया-कुचामन सिटी-नागौर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु। (रजिस्टर्ड)
- 3 श्रीमती मुनेश कँवर, व्याख्याता-वाणिज्य, राज.उच्च.माध्य विद्यालय, जिलिया-कुचामनसिटी- नागौर II
- 4 निजी/रक्षित पत्रावली
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय एडवा



सयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर